





# नीलाम पत्र वाद खील्या - 172/2016-17

5

1	2	3
26.07.2021	<p>अभिलेख उपस्थापित किया गया।</p> <p>अधियाची बैंक एवं देनदार अनुपस्थित है। देनदार की ओर से कोई पैरवी नहीं है। और बकाया राशि जमा करने की सूचना नहीं है। देनदार की मंशा अधियाचित राशि जमा करने की नहीं लगती है। बकाया राशि देनदार से वसूलनीय है।</p> <p>लोक मांग वसूली अधिनियम 1914 के धारा 10 के अन्तर्गत इसे संपुष्ट किया जाता है।</p> <p>एक मुस्त राशि वसुली हेतु देनदार को W/A निर्गत करें।</p> <p>अभिलेख दिनांक-26.08.2021 को रखें।</p> <p style="text-align: right;">               26.07.21              नीलाम पत्र पदाधिकारी-सह-              अंचल अधिकारी,              करमाटौंड(विद्यासागर)।         </p>	
26.08.21	<p>प्रशासनिक जांच के लिए वाद प्र खर्चाई नहीं की जा रही है।</p> <p>अभिलेख दिनांक 25.09.21 को रखें।</p> <p style="text-align: right;">               26.08.21              श्री. पं. पदा.              - सह.              डॉ. आ.              करमाटौंड(विद्यासागर)         </p>	
25.09.21	<p>प्रशासनिक जांच के लिए वाद प्र खर्चाई नहीं की जा रही।</p> <p>अभिलेख दिनांक 08.10.21 को रखें।</p> <p style="text-align: right;">               25.09.21              श्री. पं. पदा.              - सह.              डॉ. आ.              करमाटौंड(विद्यासागर)         </p>	
08.10.2021	<p><del>अभिलेख</del> अभिलेख उपस्थापित।</p> <p>वादी एवं बैंक अभिलेख उपस्थापित हैं। वादी एवं बैंक अभिलेख के अन्तर्गत किण्ड है कि प्रस्ताव की शक्ति सुगमन की जा चुकी है तथा वाद की कांटाई लमाए कराने का आग्रह किया है।</p> <p>अभिलेख दिनांक 08.10.21 को रखें।</p> <p style="text-align: right;">               08.10.21              श्री. पं. पदा.              डॉ. आ.              करमाटौंड(विद्यासागर)         </p>	